बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–01 / ए0जी0कोर्ट–09 / 2014 / कृ०, पटना दिनांक, 2018

सकारण आदेश

अवमाननावाद संख्या–2570 / 2015 (सी0डब्लू0जे0सी0सं0–1237 / 2000 किरणदेव कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य से उत्पन्न) में वादी के द्वारा कनीय प्रवर कोटि वेतनमान 3000–4500 / – में दिनांक–27.10.1991 तथा जिला कृषि पदाधिकारी(वरीय प्रवर कोटि एवं समकक्ष) के पद पर दिनांक–31.12.1993 के प्रभाव से नियमित प्रोन्नति की मांग की गई थी। इस याचिका में पारित न्यायादेश दिनांक–03.02.2005 का प्रवर्ती अंश इस प्रकार है :–

"This writ petition is allowed by declaring that the petitioner stood promoted in terms of the decision of the departmental promotion committee to the post of junior selection grade with effect from 27.10.1991 and accordingly he shall be given the bentfit of the said promotion in all respect forthwith but not later than 8 weeks from the date of service of copy of this order upon the respondents. In addition to that the respondents shall consider and decide the claim of the petitioner for grant of regular promotion with effect from 31.12.1993 in the pay scale of District Agriculture officer w.e.f., 31.12.1993 when his juniors were promoted to the said post within a period of 8 weeks from the date of service of a copy of this order upon the respondents."

उपरोक्त न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में श्री किरणदेव कुमार, तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक (पाट) पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत्त को दिनांक– 27.10.1991 के प्रभाव से कनीय प्रवर कोटि वेतनमान 3000–4500 / –(अपुनरीक्षित) में विभागीय अधिसूचना संख्या– 3347 दिनांक– 10.09.2018 के द्वारा प्रोन्नति प्रदान की गई।

पुनः श्री कुमार को दिनांक– 31.12.1993 के प्रभाव से वरीय प्रवर कोटि (जिला कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष) वेतनमान में नियमित प्रोन्नति के विचारार्थ विकास आयुक्त, बिहार पटना की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक– 13.09.2018 को आहूत की गई। श्री कुमार की प्रोन्नति संबंधी दावे पर विचार के क्रम में पाया गया कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कृषि विभाग के इन पदो के लिए प्रोन्नति हेतु निर्धारित 5 (पॉच) वर्षों की कालावधि दिनांक– 27.10.1996 को पूरी होने के पूर्व ही पांचवे वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप प्रवर कोटि प्रोन्नति की व्यवस्था दिनांक– 01.01.1996 से समाप्त होने के कारण श्री कुमार को उक्त प्रोन्नति पर दावा नहीं बनता है।

श्री कुमार को उनसे कनीय पदाधिकारियों को दिनांक–31.12.1993 के प्रभाव से वरीय प्रवर कोटि (जिला कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष) वेतनमान में प्रोन्नति संबंधी दावे पर विचार के क्रम में पाया गया कि विभागीय ज्ञापांक–2287 दिनांक–05.06.2007 द्वारा श्री कुमार सहित उनसे कनीय तथा वरीय पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त विभागीय पत्र संख्या–3505 दिनांक–24.09.2018 के द्वारा वादी श्री किरण देव कुमार से भी अनुरोध किया गया कि यदि उनसे कनीय किसी पदाधिकारी की प्रोन्नति दिनांक–31.12.1993 की तिथि से जिला कृषि पदाधिकारी / समकक्ष के पद पर दी गयी है तो उस संबंध में कार्यालय को सूचित करें ताकि उनके दावे का नियमानुकूल निष्पादन न्यायादेश के आलोक में किया जा सके। परन्तु वादी श्री कुमार के तरफ से उनके दावे से संबंधित कोई अभिलेख अथवा सूचना से विभाग को अवगत नहीं कराया गया।

साथ ही इस अवमाननावाद सं०–2570/2015 में दिनांक–17.09.2018 को पारित न्यायादेश के क्रम में वादी के अनुसूचित जाति के पदाधिकारी होने के कारण कनीय प्रवर कोटि से वरीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि में 1 (एक) वर्ष की छूट संबंधी दावे पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य इस प्रकार है :–

"प्रथम समव्यवहार के बाद भी यदि प्रोन्नति हेतु रिक्तियां बच जाती है तो निर्धारित न्यूनतम कालावधि में उतनी छूट दी जाय जिसके द्वारा बचे हुए पद के अधिक से अधिक तीन गुणा आरक्षित/गैर आरक्षित उम्मीदवार विचार क्षेत्र के अन्दर आ जाते हों। कालावधि में इस प्रकार की छूट देते समय सामान्य जाति के उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जाति/जन जाति के उम्मीदवारों को एक वर्ष की अधिक छूट मिलेगी।"

इस प्रकार श्री कुमार को अपने सेवाकाल में नियमानुसार देय कनीय प्रवर कोटि प्रोन्नति एवं पद प्रोन्नति का लाभ प्राप्त हो चुका है तथा उन्हें अन्य कोई प्रोन्नति लंबित नहीं है।

ह0/–
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–01/ए0जी0कोर्ट–09/2014 /कृ0, पटना, दिनांक......................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना /अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–01/ए0जी0कोर्ट–09/2014 /कृ0, पटना, दिनांक......................

प्रतिलिपि :– संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), पूर्णियॉ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/श्री किरण देव कुमार, तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), पूर्णियॉ, सम्प्रति सेवा निवृत, ग्राम+पोस्ट– कमरूद्दीनपुर, थाना– मुफसिल, भाया– उलाव, जिला– बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–01/ए0जी0कोर्ट–09/2014 /कृ0, पटना, दिनांक......................

प्रतिलिपि :– ए०ए०जी०– 12, महाधिवक्ता कार्यालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–01/ए0जी0कोर्ट–09/2014 4406 /कृ0, पटना, दिनांक 24/12/2018

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21.12.2018
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

21.12.18

D:\Rahul\Order\Order-34.docx